XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 70–तीन/99 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव द्वारा प्रकरण कमांक 109/97–98 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–12–98 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए अपील अंदर म्याद मान्य की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब क्षमा का आवेदन स्वीकार किया है । विलंब क्षमा करना यह अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर है वरिष्ठ न्यायालय केवल यह देख सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग विधिवत किया है या नहीं । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है । उनके इस आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है ना ही कोई विधिक त्रुटि है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है । 3/ उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	

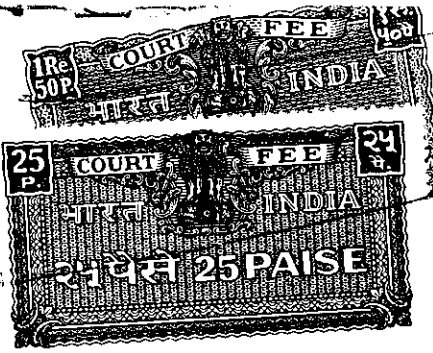

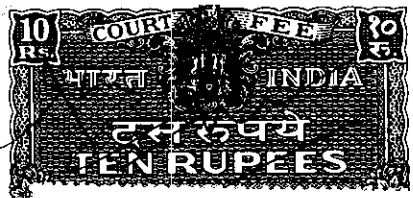

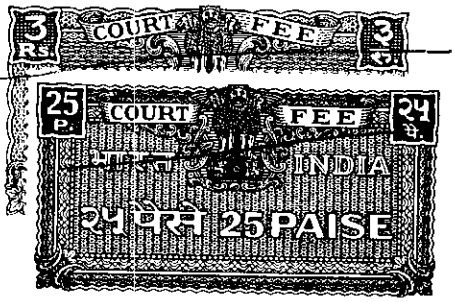

COURT FEE INDIA भारत 1Re 50P.
COURT FEE INDIA भारत 10 Rs. दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE INDIA भारत 25 P. २५ पैसे 25 PAISE
COURT FEE 3 Rs.
COURT FEE INDIA भारत 25 P. २५ पैसे 25 PAISE

C.R.A. 151

न्यायालय ~~अनुवर्ती चंबल संभाग~~ ग्वालियर
राजस्व मण्डल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / ९८-९९ पुनरोक्षण

प.क्र. 990070
प्र.क्र. 70-तीन/99

परोमालसिंह आत्मज पेजरामसिंह गुजर, निवासी -मेहगांव तहसोल- मेहगांव, जिला- भिण्ड
-- आवेदक

बनाम

अनुरूद्धसिंह आत्मज मुरलोसिंह गुजर निवासी ग्राम- केरोरा, तहसोल- मेहगांव जिला- भिण्ड
- अनावेदक

क्रमांक ....
श्री मुकेश लालपुरिया 12.01.99
दिनांक
अभिभाषक
12.01.99
... आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

अनुविभागोय अधिकारी मैहगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 109/९७-९८ अपोल में पारित आदेश दिनांक 14-12-98 के विरूद्ध पुन. अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरोक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है :--

1. यह कि, अनुविभागोय अधिकारी महोदय का सलंग्न विवादित आदेशअवैध तथा प्रकरण के अभिलेख के विपरोत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

Belapurkar 12-1-99

2. यह कि, आवेदक ने अनावेदक से उचित प्रतिफल देकर पंजोकृत विक्रय पत्र द्वारा विवादित भूमि क्रय की थो तथा वास्तविक आधिपत्य प्राप्त किया था. नयो व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत ने विधिवत कार्यवाहो कर आवेदक का नामान्तरण स्वोकृत किया था

30-12-98

3. यह कि, अनावेदक ने पंजोकृत विक्रय पत्र निष्पादित करना स्वोकार किया हैं. अनावेदक को यह आपत्ति राजस्व न्यायालय के समक्ष विचारयोग्य नहो हैं कि उसके साथ धोखा करके विक्रय पत्र निष्पा